न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वादपत्र संख्या 67/2013 (63/2013)

श्री रोहित जैन पुत्र श्री सुनील कुमार जैन उम्र 22 वर्ष जाति जैन निवासी भंवरबाड़ी, बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)

—————वादी

ब ना म

1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री कजोड़ उम्र वयस्क जाति कुम्हार निवासी रिलायंस पेट्रौल पम्प के पास, गुलाबपुरा रोड़, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)
2. श्री हितेश लोढा पुत्र स्व. श्री ताराचन्द लोढा जाति जैन निवासी लोढा मार्केट, शिवबाजार बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बिजयनगर जिला अजमेर (राज.)

————प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्त. अधि. व धारा 128 भू राजस्व अधि.

अंतिम निर्णय दिनांक 27.06.2019

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.02.2015 को बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री पारित कर यह निर्णय पारित किया कि "वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बिजयनगर की रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 225 में अंकित खसरा नम्बर 546/2 रकबा 00–19–10 किस्म चाही 1 में प्रतिवादी संख्या 4 राजस्थान सरकार न0 पा0 बिजयनगर भू0सं0 27 से 32 के हिस्से में रकबा 000603 व प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल मुत0 कजोड़ के हिस्से में रकबा 0.0365 हेक्टेयर भूमि रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। इसी प्रकार ग्राम बिजयनगर की रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 86 में खसरा नम्बर 547/2 रकबा 01–19–03 किस्म चाही 1 में प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल के 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 श्री हितेश लोढा के 1/8 हिस्सा तथा वादी श्री रोहित जैन के 3/8 हिस्सा रखे जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्तानुसार पक्षकारान के हिस्से अनुसार तहसीलदार बिजयनगर को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर एवं पृथक–पृथक खाता खोलकर मिन नम्बर लगाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाने तथा पृथक–पृथक लगान तय किया जाकर नक्शा ट्रेस में विभाजन को दर्शाया जाकर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। बरवक्त बंटवारा प्रस्ताव अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर को सूचित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हक हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी, कार्यवाही बेदखली, बेचान आदि नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।"

दौराने वाद अधिवक्ता वादी ने वादग्रस्त खसरा संख्या 546/2 को आदेशिका से डिलीट किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी ने अनापत्ति जाहिर करते हुए उक्त खसरा डिलीट किये जाने पर सहमति ज़ाहिर की। उक्त आधार पर खसरा संख्या 546/2 को उक्त प्रकरण से डिलीट किया जाने के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् तहसीलदार बिजयनगर से डिक्री अनुसार बंटवारा प्रस्ताव चाहा गया।

उक्त निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 23.02.2015 की अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक भू.अ./ 2019/1067 दिनांक 30–05–2019 से प्रस्तुत किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर बहस उपस्थित पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई जिन्होंने बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने पर सहमति [illegible] जिस बाबत् सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये।

..................लगातार

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपान्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथा प्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बिजयनगर के खसरा संख्या ऑन लाईन से पूर्व 547/2 तथा ऑन लाईन के बाद बने हाल खसरा संख्या 897/547/1 रकबा 0.1584 हैक्टेयर किस्म चा.1 को भंवरलाल दत्तक पुत्र कजोड़ जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने तथा खसरा संख्या ऑन लाईन से पूर्व 547/2 तथा ऑन लाईन के बाद बने हाल खसरा संख्या 897/547/2 रकबा 0.1583 किस्म चा.1 को रोहित वल्द सुनिल कुमार कौम जैन सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश तहसीलदार बिजयनगर पर पारित किये जाते हैं। तहसीलदार बिजयनगर यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एंव लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्षान पक्षकारान को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं के हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा (जिला–अजमेर)

राजस्व वादपत्र संख्या 67/2013 (63/2013)

श्री रोहित जैन बनाम श्री भंवरलाल व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 व 151 जाब्ता दीवानी

आदेश दिनांक :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किये हैं कि इस न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर दिनांक 27.06.2019 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु माननीय न्यायालय से लिपिकीय त्रुटिवश धारा 183 के स्थान पर धारा 188 अंकित हो गया है एवं इसी प्रकार वादपत्र में अंकित उक्त धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जा दिलवाने का अनुतोष भी वादी द्वारा वादपत्र में अंकित किया गया था, परन्तु संहवन से धारा 183 के स्थान पर धारा 188 अंकित होने से उक्त अनुतोष भी माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित अंतिम निर्णय/डिक्री दिनांक 27.06.2019 में उक्त धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के स्थान पर धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा कब्जा दिलवाये जाने का अनुतोष प्रदान करते हुए संशोधित निर्णय पारित किया जावे। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि है जिसका संशोधन किया जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। वादी द्वारा वादपत्र में सहीं अंकित किया गया है। उक्त त्रुटि को यदि संशोधित नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को असहनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम निर्णय में उक्तानुसार संशोधन करते हुए न्यायनिर्णय पारित किया जावे।

उभयपक्षान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिस पर उन्होंने कथन किए कि उक्त प्रकरण राजीनामें के आधार पर निस्तारित किया गया है जिसमें धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुतोष चाहा गया था जो मूल धारा में अंकित नहीं किया गया एव ना उक्त धारा में कोई अनुतोष दिया गया जिस बाबत् निर्णय में दुरूस्ती की जाकर उक्तानुसार संशोधित निर्णय पारित किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि मूल वाद पत्र में वादी द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इन्द्रांज किया गया है तथा अनुतोष में कब्जा बाबत् भी निवेदन किया गया है जो वादपत्र के निर्णय के समय संहवन से (लिपीकीय त्रुटिवश) धारा 188 दर्ज हो गया है जो धारा 152 जाब्ता दीवानी के परव्यूव में आना पाया जाता है तथा वादीगण उक्तानुसार शुद्धि करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं।

उक्त सम्पूर्ण विवेचन व वादपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बिजयनगर के वादग्रस्त खसरान् बाबत् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके बंटवारे अनुसार जरिए माप व सीमांकन कब्जा दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार बिजयनगर को दिये जाते हैं। उक्त आदेश, निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2019 का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 10.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 17:30:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: